न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019/39** दायर दिनांक **24.01.2019**

वदीगण		प्रतिवादी
1. सोहनराम पुत्र श्री मगाराम 2. हनुमानराम पुत्र श्री मगाराम उम्र कमश 57 59,साल जाति जाट निवासी जानकीपूरा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा— 136 R.T.Act.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित—

1. श्री मेहन्द्रसिंह खिलेरी अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, अनुपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक **24.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 18 बिस्वा वाके शरहद रायसिंहपुरा में आया हुआ है जो वादीगण के हक अधिकार व कब्जे काश्त में है।

वादीगण के पिता की फौतगी के पश्चात उपरोक्त सभी खसरान में भूल वश वादीगण का नाम हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम की जगह हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम अकिंत कर दिया गया है।तथा वादीगण के सभी आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज आदि में नाम हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम दर्ज है।तथा वादीगण के उपरोक्त सभी खसरो में हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम अकिंत हो गया।

वादीगण का नाम खतौनी में उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि मे गलत नाम हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम होने के कारण अत्यधिक असुविधा व परेशानिया का सामना करना पड रहा है।वादीगण के उपरोक्त खेत खसरान की भूमि में अपना हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम दर्ज करवा कर राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाना चाहते है।इस हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि

खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 18 बिस्वा वाके शरहद रायसिंहपुरा पटवारी हल्का बालिया में जहॉ हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम अकिंत है।वहॉ पर हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम नाम दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण के दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आधार कार्ड है जिनमें हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम नाम दर्ज है मगर खतौनी में हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम दर्ज है।इसलिए वादीगण अपना नाम खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 18 बिस्वा वाके शरहद रायसिंहपुरा पटवारी हल्का बालिया की खातेदारी में हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम घोषणा करवाने का अधिकारी है।अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 18 बिस्वा वाके शरहद रायसिंहपुरा पटवारी हल्का बालिया की खातेदारी में वादीगण का नाम हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **24.01.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2019 / 39** दायर दिनांक **24.01.2019**

वदीगण		प्रतिवादी
1. सोहनराम पुत्र श्री मगाराम 2. हनुमानराम पुत्र श्री मगाराम उम्र कमश 57 59,साल जाति जाट निवासी जानकीपूरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राज.।	**बनाम्**	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– **136 R.T.Act.**

दिनांक **24.01.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मेहन्द्रसिंह खिलेरी वादी उपस्थित व प्रतिवादी सं0 01 अनूपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 33 रकबा 18 बिस्वा वाके शरहद रायसिंहपुरा पटवारी हल्का बालिया की खातेदारी में वादीगण का नाम हनुमान पुत्र मूलाराम व सोहन पुत्र मूलाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र मगाराम व सोहनराम पुत्र मगाराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.. ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.01..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–39–**2019**/रीडर/2019/93 दिनांक 22/11/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
अन्तर्गत धारा– 136 R.T.Act.

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादी
1. सोहनराम पुत्र श्री मगाराम **2.** हनुमानराम पुत्र श्री मगाराम उम्र कमश 57 59,साल जाति जाट निवासी जानकीपूरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner